



संख्या-3/2026/ 531/42-01099/51/2026

प्रेषक,

कुमार विनीत,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक- 29-07-2026

विषय:- चौक स्टेडियम लखनऊ स्थित बैडमिंटन हाल तथा बास्केटबाल कोर्ट का नवीनीकरण एवं जिम हाल एवं बास्केटबाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/487932/2026/ल०म०/2025-26, दिनांक 26.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौक स्टेडियम लखनऊ स्थित बैडमिंटन हाल तथा बास्केटबाल कोर्ट का नवीनीकरण एवं जिम हाल एवं बास्केटबाल के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था- उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० द्वारा प्रस्तुत आगणन रु० 679.95 lakh का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए पी०एफ०ए०डी० द्वारा आकलित लागत रु० 617.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87- खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय-24-वृहत निर्माण कार्य " मद में व्यवस्थित धनराशि रु० 2000.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु० 3,08,56,000/- (रुपये तीन करोड़ आठ लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रु० 3,08,56,000/- (रुपये तीन करोड़ आठ लाख छप्पन हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था- उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/ बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना की निर्माण अवधि 18 माह निर्धारित की गयी है। अतः निदेशक, खेल द्वारा प्रायोजना की उक्त निर्माण अवधि एवं प्रायोजना के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि/डे जीरो का नियमानुसार उल्लेख किया जायेगा, जिससे मूल्यवृद्धि/प्राइज एडजस्टमेंट के कारण राजकोष पर अतिरिक्त व्यय भार न आये।

(4) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/ऑडिट की धनराशि आकलित लागत में सम्मिलित की गयी है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं० /1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/1405006/2026, दिनांक 22.07.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75. दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किस्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किस्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेन्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किस्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में कन्टीजेंसी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेंट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का आनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जायेगा। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022 / ई-8-202/दस-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के शासनादेश सं०-5/2021/ File No 65-2013/2/ 2018-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(11) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विवरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत /व्यय की जायेगी।

(16) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (17) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
- (18) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (19) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (20) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (21) निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (22) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- (23) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो। इस हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (24) वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (25) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विवरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
- (26) जी०एस०टी० आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,08,56,000 (रुपये तीन करोड़ आठ लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038008700 खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिये मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-33-X-2026-27-दिनांक:23-7-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कुमार विनीत

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/2026/ 531/42-01099/51/2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उ०प्र० (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ०प्र० शासन।
- 9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।